रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3240] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2018/श्रावण 30, 1940
No. 3240] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2018/SHRAVANA 30, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

आदेश

नई दिल्ली,16 अगस्त, 2018

का.आ. 4045 (अ).— भारत सरकार (कारोबार का संचालन) नियमावली, 1961 के नियम 3 के उपबंध के अनुसरण में और इस विषय पर सभी पूर्व आदेश के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा निदेश देता हूँ कि विदेशी विनिमय का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों का निवारण नियमावली, 1974 (1974 का 52) के तहत केन्द्र सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार में एतदधीन यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा किया जाएगा:-

क्र.सं.	अधिनियम के उपबंध	प्रत्यायोजित शक्तियां	अधिकारी जिन्हें प्रत्यायोजित की गई है
1.	धारा 3 की उप-धारा 2	सभी शक्तियां	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो अथवा संयुक्त सचिव (कोफेपोसा)।
2.	धारा 5	सभी शक्तियां	
3.	धारा 7 की उप-धारा 1	सभी शक्तियां	
4.	धारा 8 का खंड (ख)	सभी शक्तियां	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव (कोफेपोसा) अथवा अवर सचिव (कोफेपोसा)।
5.	धारा 8 का खंड (च)	वे मामले जिनमें सलाहकार बोर्ड ने सूचित किया है कि हिरासत के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) अथवा उप सचिव (कोफेपोसा) अथवा अवर सचिव (कोफेपोसा)।
6.	धारा 11	कोफेपोसा हिरासिती से और उसकी ओर से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार और निपटान करने की शक्ति	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव अथवा महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
7.	धारा 12	सभी शक्तियां	

2. यह अधिसूचना दिनांक 28.06.2016 से प्रवत्त होगी।

[फा. सं. 671/09/2016-सीमाशुल्क-VIII]

एल. सत्य श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Economic Intelligence Bureau)

ORDER

New Delhi, the 16th August, 2018

S.O. 4045 (E).—In pursuance of provision of rule 3 of the Government of India (Transaction of Business) Rules, 1961 and supersession of all previous order on this subject the Competent Authority hereby directs that the powers vested in the Central Government under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), shall be exercised by the officers in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Government of India, as specified hereunder:-

Sl. No.	Provisions of the Act	Powers delegated	Officers to whom delegated
1.	Sub-section 2 of Section 3	All powers	Secretary or Director General, Central Economic Intelligence Bureau or Joint Secretary (COFEPOSA) in the Department of Revenue, Ministry of Finance.
2.	Section 5	All powers	
3.	Sub-section 1 of Section 7	All powers	
4.	Clause (b) of Section 8	All powers	Deputy Secretary (COFEPOSA) or Under Secretary (COFEPOSA) in the Department of Revenue, Ministry of Finance.
5.	Clause (f) of Section 8	Cases where the Advisory Board had reported that there is no sufficient cause for the detention	Joint Secretary (COFEPOSA) or Deputy Secretary (COFEPOSA) or Under Secretary (COFEPOSA) in the Department of Revenue, Ministry of Finance.
6.	Section 11	Power to consider and dispose of representations from and on behalf of COFEPSOA detenues.	Secretary or Director General, Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue, Ministry of Finance.
7.	Section 12	All powers	

2. This notification shall come into force with effect from 28.06.2016

[F.No.671/09/2016-Cus-VIII]

L. SATYA SRINIVAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.23 19:12:18 +05'30'